

卷之三

संविद्, प्राचीनिक विज्ञा विषय

বাংলা কথা বিজ্ঞান

संख्या:- प्राधिकरणित संख्या/2021/7169001

तिथि: दिनांक: 21.09.2023

-३८५-

फार्मसी अाउनित बैंक हुँडिए। नई दिल्ली द्वारा ऐक्षिक सत्र 2023-24 हेतु नवीन लिपोमा सर्वीस तकनीकी शिक्षण सामग्री की अनुमोदन प्रक्रिया जाने के दृष्टरात्रा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उप प्रा. समिति द्वारा सम्बद्धता प्रदान गिए जाने के सम्बन्धमा मैं दिनांक 22-09-2023 को गाँथिय राष्ट्रीय मैं सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु फार्मसी अाउनित बैंक हुँडिए, नई दिल्ली द्वारा सोलहवीं वर्ष प्रदान अनुमोदन पाठ सम्बद्धता समिति द्वारा गए विभिन्न के अनुच्छेदमा मैं सम्बद्धता प्रदान गिए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता लियिंग की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निश्चाला को प्रविधिक सिद्ध परिषद् उप-प्रभु तथा नियमित वार्ता के अधीन पालनपालन करने वाले उसमें अंकित प्राप्त क्षमता हेतु एहान गोप्य जाती है।

रसायन एवं औषध लेखन संकाय - 2375 - BASIWARA PHARMACY COLLEGE, HARDOI

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पीएसीई-भार्ड छात्रा सत्र 2023-24 हेटु अनुमोदित प्रवर्ष क्षमता	पीएसीई-भार्ड छात्रा सत्र 2023-24 हेटु अनुमोदित प्रवर्ष क्षमता
1	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

卷之三

- संस्था कार्यसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली हारा विधीप्रिय की नई सभो शाती का गृहीत प्राप्त करेगी।
  - पीएली०आर्ड० के मानक के अनुसार समस्त सालान (प्रयोग, भवन, ऐब हापकरण) जारी उपलब्ध है।
  - संस्था उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठित विकास परिषद् १९६२ संघ प्राविधिक विकास परिषद् विनियमकाली १९९२ विनियमकाली २०००, ऐमेस्ट्र विनियमकाली २०१६ तथा समय-समय पर निर्णीत शासनादेशी का अनुपातन करेगी तथा यूनिवर्सिटी इंडिया निर्धारित यूनिवर्सिटी प्रदेश उत्तराखण्ड एवं प्राप्त विकास जारीना। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन हारा निर्णीत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही शिक्षा जाना आवश्यक होगा। फौज निर्धारित समिति हारा पर्याप्त सम २०२३-२४ हेतु चीस बार पुनर्नीधारण किया जाता है, तो पीस लैव नवीनताम दरे लागू होगी।
  - संस्था में संयुक्त प्रोफेशनल परीक्षा परिषद् हारा आवश्यक लातों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
  - संस्था का समय-समय पर निर्णीत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं समझौता यूनिवर्सिटी का नाम होगा।
  - संस्थान उत्तर प्रदेश शासन हारा निर्णीत विकास/विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/नियंत्रणों एवं नियंत्रक कार्यालय के अतिरिक्त विकास, उपरोक्त संयुक्त प्रोफेशनल परीक्षा परिषद्, उपरोक्त तथा प्राविधिक विकास परिषद्, उपरोक्त शासन कार्यपाय गढ़े विनियमों/विनियमों/शासनादेशों/नियंत्रणों का प्राप्तन करने के लिये दावकारी है।
  - यदि संस्थान ज्ञान पर्याप्ति काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली हे अनुप्रयोगन विरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था स्वयं उल्लटोची होगी। प्राविधिक विकास परिषद्, संयुक्त प्रोफेशनल परीक्षा परिषद्, प्राविधिक विकास नियंत्रणालय एवं प्राविधिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरस्त यदि कोई वाद दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में ज्ञानापालन द्वारा किसी प्रकार की प्राविधिक संशोधनी विकास विवरण किया जाता है तो संगठन प्राविधिक संबंधित संस्था की करती होगी।
  - संस्था ज्ञान प्रोफेशनल परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ हारा प्रवेश वर्ष के लिए अल्लाजित प्रोफेशनल परीक्षा हेतु काउन्सिल/प्राविधिक प्रापाम होने के पूर्व कार्यसी काउन्सिल और इंडिया, नई दिल्ली० से अनुप्रयोगन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध छात्रान्वयन विधायक तुने प्रवेश की अनुप्रति ज्ञान नहीं दी जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-सम्बन्ध पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना चाहिएकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने चेबसाइट तथा प्राक्षिपिक शिक्षा के यूआइज गोर्टल पर संस्था की समस्त मूल्यांक और संस्था की ऐलिङ्गिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साक्ष-सच्चा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोकने के साथ भी समस्त अवधारणक दबद्दला गुरुभित्ति बनानी होगी।
- ✓ कल्पा यह तुनिमित्त हो है कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को वर्तमो जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिसूचना, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोक्त का प्रयोग किसी अन्य छात्र के लिए कर रही है तो उकात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यकारी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राक्षिपिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000 के प्रारंभिकानुसार परिषद का जाग पर अपने कार्यवास्त्री, भवनों और कार्यालय को बारिश के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के औचक रपहीय निरीक्षण के दौरान पदि संस्था में भूमि, भवन, प्रवोगाताता, उपकरण एवं अन्य साक्ष-सच्चा पीएसीआई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अर्विंद कुमार मिश्र)

संकेत।

तिरिचारक: 23.09.2023

फॉर्म- प्राक्षिपिक विवरण सम्बद्धता/2023/2309002-2309494

प्रतिलिपि- प्रधानमार्थ/गिरिपला, BASILWARA PHARMACY COLLEGE, HARDON.



(अर्विंद कुमार मिश्र)

संकेत।